राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस.बी. सिविल याचिका संख्या 4962/2017

राम चन्द्र कड़ेला पुत्र श्री मांगी लाल कड़ेला, निवासी तीसरी पोल के अंदर, केघवालों की बस्ती, महामंदिर, जोधपुर, राजस्थान।

----अपीलार्थी

बनाम

1. सचिव, सरकार, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर के माध्यम से राजस्थान राज्य।

2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।

----प्रतिवादीगण

अपीलार्थी(गण) के लिए : श्री डी.एस. सोढ़ा

श्री मानवेन्द्र सिंह

प्रतिवादी(गण) के लिए : श्री महेश थानवी

माननीय श्री न्यायमूर्ति अरुण मोंगा

<u>आदेश(मौखिक)</u>

<u>रिपोर्ट करने योग्य</u>

<u>04/04/2024</u>

1. याचिकाकर्ता की शिकायत प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा जारी दिनांक 01.09.2016 (अनुलग्नक-5) के शुद्धिपत्र से उत्पन्न हुई है, जिसके अनुसार दिनांक 12.01.2015 के विज्ञापन (अनुलग्नक-2) के अनुसार व्याख्याता, संगीत (गायन) के पद के लिए दृष्टिहीन/कमज़ोर दृष्टि वाले उम्मीदवारों के लिए आरक्षण रद्द कर दिया गया था।

2. प्रासंगिक तथ्य इस प्रकार हैं:

2.1 याचिकाकर्ता वर्तमान में राजस्थान सरकार के माध्यमिक शिक्षा विभाग में वरिष्ठ अध्यापक ग्रेड II के पद पर कार्यरत है और राजकीय दृष्टिहीन विद्यालय, दीनदयाल उपाध्याय कॉलोनी, आंगणवा, जोधपुर में तैनात है।

2.2 आरपीएससी ने व्याख्याता के पद के लिए आवेदन आमंत्रित करते हुए दिनांक 12.01.2015 को एक विज्ञापन जारी किया। चयन प्रक्रिया के लंबित रहने के

दौरान, दिनांक 04.03.2016 को एक शुद्धिपत्र जारी किया गया, जिसके तहत व्याख्याता, संगीत (गायन) के पद के लिए रिक्तियों की संख्या 7 से बढ़ाकर 8 कर दी गई, जिसमें से एक पद दृष्टिहीन/कमज़ोर दृष्टि वाले उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रखा गया।

2.3 परीक्षाओं के बाद, प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा दिनांक 01.09.2016 को एक शुद्धिपत्र जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि प्रतिवादियों ने संगीत (गायन) दृष्टिहीन के लिए आरक्षण बदल दिया है और विज्ञापन में पहले दिए गए आरक्षण को हटा दिया है। प्रतिवादियों की कार्रवाई से व्यथित होकर, याचिकाकर्ता ने तत्काल रिट याचिका दायर की।

3. प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से दायर जवाब में लिया गया रुख यह है:

3.1 याचिकाकर्ता का मामला प्रथम दृष्टया दिनांक 12.01.2015 के विज्ञापन में दिए गए आरक्षण के इर्द-गिर्द घूमता है, जिसके तहत एक पद दृष्टिहीन/कमज़ोर दृष्टि वाले उम्मीदवार के लिए आरक्षित था। हालांकि, दिनांक 01.09.2016 के प्रेस-नोट/शुद्धिपत्र के माध्यम से, पद का उक्त आरक्षण हटा दिया गया था।

3.2 इसके अलावा, पदों के श्रेणीवार/आरक्षण के लिए वर्गीकरण संबंधित विभाग द्वारा किया जाता है और पद के वर्गीकरण के संबंध में विभाग द्वारा प्राप्त जानकारी के आधार पर शुद्धिपत्र जारी किया गया था। याचिकाकर्ता ने अपनी श्रेणी के तहत न्यूनतम कट ऑफ अंक भी प्राप्त नहीं किए हैं और इसीलिए उन्हें असफल घोषित किया गया।

4. उपरोक्त पृष्ठभूमि में, मैंने याचिकाकर्ता के विद्वान वकील की दलीलें सुनी हैं और केस फाइल का अवलोकन किया है। प्रतिवादियों की ओर से कोई पेश नहीं होता है। हालाँकि, मैंने प्रतिवादियों द्वारा दायर जवाब को पढ़ लिया है और उसमें लिए गए रुख और याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा दिए गए तर्कों के आधार पर अपनी राय देने के लिए आगे बढ़ूंगा।

5. इसमें संक्षिप्त विवाद यह है कि क्या याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी को दृष्टिबाधित होने के कारण शारीरिक रूप से विकलांग श्रेणी में क्षैतिज आरक्षण के लिए खारिज किया जा सकता था। इसका उत्तर नकारात्मक है। आइए देखें कि कैसे।

6. सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, यह ध्यान रखना उचित है कि याचिकाकर्ता की दृश्य हानि किसी भी तरह से उसके द्वारा किए जाने वाले कर्तव्यों में बाधा नहीं डालती है। वह वर्तमान में संगीत (गायन) में वरिष्ठ शिक्षक के रूप में

काम कर रहा है और संगीत (गायन) में स्कूल व्याख्याता के पद के लिए इच्छुक है।

7. इस प्रकार यह सामान्य ज्ञान है कि गायन संगीत में शिक्षक होने के नाते, केवल स्वर रज्जु को देखने की आवश्यकता है, न कि दृश्य हानि को। किसी भी मामले में, भले ही कोई यह मानता हो कि दृष्टि दोष कभी-कभी उसकी क्षमता में बाधा डाल सकता है, संसद द्वारा विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 और उसमें बनाए गए नियमों के तहत बनाए गए उदार प्रावधानों के मद्देनजर यह कोई महत्व नहीं रखता। अध्याय VI और उसमें बनाए गए नियम 33 का संदर्भ लिया जा सकता है, जो उपयुक्त होने के कारण नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है:-

> "33. पदों का आरक्षण – प्रत्येक समुचित सरकार प्रत्येक प्रतिष्ठान में निःशक्त व्यक्तियों या व्यक्तियों के वर्ग के लिए कम से कम तीन प्रतिशत रिक्तियां नियुक्त करेगी, जिनमें से एक-एक प्रतिशत उन निःशक्त व्यक्तियों के लिए आरक्षित होगा, जो निम्नांकित से पीड़ित होंगे –
>
> (i) अंधापन या कम दृष्टि;
>
> (ii) श्रवण दोष;
>
> (iii) चलने-फिरने में अक्षमता या मस्तिष्क पक्षाघात, प्रत्येक निःशक्तता के लिए पहचाने गए पदों में;
>
> बशर्ते कि समुचित सरकार किसी विभाग या प्रतिष्ठान में किए जाने वाले कार्य के प्रकार को ध्यान में रखते हुए, अधिसूचना द्वारा, ऐसी शर्तों के अधीन, यदि कोई हों, जो ऐसी अधिसूचना में निर्दिष्ट की जा सकती हैं, किसी प्रतिष्ठान को इस धारा के प्रावधानों से छूट दे सकती है।"

8. उपर्युक्त प्रावधानों के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रतिवादियों को दिव्यांग व्यक्तियों के लिए 3 प्रतिशत आरक्षण देने का वैधानिक आदेश है। वर्तमान मामले में, बिना किसी उचित कारण के, प्रतिवादियों ने व्याख्याता, संगीत (गायन) के पद के लिए आरक्षण को सरसरी तौर पर हटा दिया है, जबकि दूसरी ओर, अन्य पदों के लिए समान आरक्षण दिया जा रहा है। इस तरह के भेदभावपूर्ण दृष्टिकोण की सराहना नहीं की जा सकती है और यह कम से कम कहने के लिए निंदनीय है।

9. केवल उस संक्षिप्त आधार पर, रिट याचिका को अनुमति दी जानी चाहिए। ऐसा आदेश दिया जाता है। हालांकि, यह स्पष्ट किया जाता है कि याचिकाकर्ता को आरक्षण का लाभ तभी दिया जाएगा जब उसे चयन प्रक्रिया में योग्य पाया गया हो।

10. यह पता चला है कि रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान अंतरिम आदेश के तहत प्रतिवादियों को याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी पर अनंतिम आधार पर विचार करने का निर्देश दिया गया था, लेकिन उसके परिणाम को सील कवर में रखने का निर्देश दिया गया था।

11. तदनुसार, यह निर्देश दिया जाता है कि प्रतिवादी सीलबंद लिफाफा खोलेंगे और यदि परिणाम याचिकाकर्ता के पक्ष में आता है, तो वे तुरंत उसे इसका लाभ प्रदान करेंगे।

12. उपर्युक्त आधार पर, यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि यदि याचिकाकर्ता सफल होता है, तो याचिकाकर्ता द्वारा तत्काल आदेश की वेब प्रिंट प्रति के साथ प्रतिवादी अधिकारियों से संपर्क करने की तिथि से 30 दिनों की अवधि के भीतर नियुक्ति पत्र जारी करने के लिए कदम उठाए जाएंगे।

(अरुण मोंगा),जे

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।
अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा मे अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा एवं निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।